राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या– 785/2012/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या– 787/2012/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या–1188/2012/भीलवाड़ा.
4.' अपील संख्या–1193/2012/भीलवाड़ा.
5. अपील संख्या–1195/2012/भीलवाड़ा.
6. अपील संख्या–1910/2012/भीलवाड़ा.

मैसर्स लड्डूराम बाबूलाल, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी (अपील संख्या–785/12).
मैसर्स नाथूलाल वर्मा, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी (अपील संख्या–787/12).
मैसर्स अनिल प्रकाश सोनी, भीलवाड़ा ...अपीलार्थी (अपील संख्या–1188/12).
मैसर्स बी. एल. चौधरी एण्ड कं0, भीलवाड़ा ...अपीलार्थी (अपील संख्या–1193/12).
मैसर्स औकार लाल माली, भीलवाड़ा ...अपीलार्थी (अपील संख्या–1195/12).
मैसर्स कुमार जयदीप सांखला, भीलवाड़ा ...अपीलार्थी (अपील संख्या–1910/12).

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थी सभी अपीलों में.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एम. पी. शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थीगण की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी (राजस्व) की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/12/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण ने ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2. इन सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. अपीलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	785/2012	245/वैट/10–11	07.02.2012	05.10.2010	2006–07
2.	787/2012	233/वैट/10–11	06.02.2012	22.09.2010	2006–07
3.	1188/2012	207/वैट/10–11	12.04.2012	08.02.2010	2007–08
4.	1193/2012	214/वैट/10–11	25.04.2012	16.03.2010	2007–08
5.	1195/2012	240/वैट/10–11	16.04.2012	05.10.2010	2006–07
6.	1910/2012	126/वैट/11–12	28.08.2012	30.11.2011	2009–10

लगातार................2

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारी का कार्य किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान ई.सी. से समर्थित एवं बिना ई.सी. समर्थित संविदा कार्य निष्पादित किये गये हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण के आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 34/24 के तहत पारित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं :-

(i) अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा निष्पादित किये गये संविदा कार्यों में मजदूरी की राशि को कम नहीं किया जाकर सम्पूर्ण संविदा राशि पर ई.सी. शुल्क का आरोपण किया गया है।

(ii) संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु क्रय किये गये माल यथा आयरन, स्टील व सीमेंट की खरीद में लाभांश व खर्चे जोड़ते हुए 4/12.5 प्रतिशत की दर से वैट का आरोपण किया गया।

(iii) अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु बजरी व पत्थर की खरीद वैट-39 के जरिये की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट-39 के जरिये चुकाये गये कर को अस्वीकार किया जाकर निर्धारित दर से करारोपण किया गया तथा वैट-39 से चुकाये गये कर का समायोजन नहीं दिया गया।

(iv) अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा कार्यों में उपयोग हेतु वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल पर कर निर्धारण अधिकारी ने लाभांश व खर्चे जोड़ते हुए करारोपण किया है। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा क्लेम किया गया आई.टी.सी. अस्वीकृत किया गया है।

(v) आलौच्य अवधियों के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।

(vi) अपील संख्या 1188/2012 से सम्बन्धित प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा खादी ग्रामोद्योग संस्थान (KVIC के तहत पंजीकृत) से करमुक्त गिट्टी की खरीद गई थी, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।

लगातार.................3

5. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी द्वारा मजदूरी राशि के सम्बन्ध में अस्वीकार की गईं तथा कर चुके माल में वृद्धि, वैट—39 के समायोजन तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच किये जाने तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

6. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से श्री एम.पी.शर्मा, कर सलाहकार उपस्थित हुए। बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि शामिल है। मजदूरी राशि पर किसी प्रकार का वैट आरोपित नहीं किया जा सकता है। बिल्डिंग कार्य होने से वेट अधिनियम में 25 / 30 प्रतिशत मजदूरी कम करनी थी, उसके बाद ही ई.सी. फीस आरोपण योग्य थी। इस सन्दर्भ में माननीय न्यायालय का निर्णय भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश किया था, फिर भी हमारी अपीलें खारिज कर दी तथा इस बिन्दु पर अपीलें स्वीकार करने की मांग की।

7. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बहस में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के **अपील संख्या 338 / 99 व 339 / 99 कर निर्धारण वर्ष 93—94 एवं 94—95 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत—बारां बनाम केसंरीमल रतनलाल छाबड़ा निर्णय दिनांक 25.11.2002** का उल्लेख किया गया। इसी क्रम में **मीठालाल ओमप्रकाश बालोतरा** के मामले में दिये गये निर्णय का दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

8. अन्य न्यायिक दृष्टान्त **अरविन्द एण्ड कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर बनाम किस्तूरमल गुलाबचन्द** प्रस्तुत किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **सहायक आयुक्त, विशेष वृत, उदयपुर बनाम मैसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड न्यायिक दृष्टान्त 23 टैक्स अपडेट पेज 22** का उल्लेख लिखित बहस में किया गया।

9. मौखिक बहस के समय माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **(1999) 114 एस.टी.सी. 265 गाउंडर एण्ड कम्पनी बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य** की प्रति अपने पक्ष में प्रस्तुत की।

लगातार................4

10. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलार्थीगण ने अग्रिम कथन किया कि उनके द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद वैट–39 के जरिये प्रति ट्रिप के हिसाब से कर अदा किया जाकर माल क्रय किया गया है, जिसका समायोजन मूल कर निर्धारण आदेश में दिया जाना चाहिये था। इसके विपरीत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बजरी व पत्थर पर विहित दर से करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

11. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि कर चुकाकर क्रय किये गये माल में वृद्धि किये जाने में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। जबकि माल में वृद्धि किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी जारी नहीं किये गये हैं। इस बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए नोटिस जारी किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

12. प्रत्यर्थी विभाग की ओर विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का समर्थन किया। करमुक्ति का विकल्प लिया जाना एक स्वैच्छिक कृत्य है तथा करमुक्ति का विकल्प लिये जाने के बाद इस हेतु प्राप्तियों पर विहित मुक्ति शुल्क कर दर से मुक्ति शुल्क देयता बनती है, एवं इनपुट टेक्स समायोजन हेतु पात्रता नहीं रखते है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार ई.सी. समर्थित कार्यों के पेटे क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के **अपील संख्या 2426 / 2012 / भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉनफेब प्रा0 लि0, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.9.2014** का हवाला देते हुए वैट–39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन को भी अनुज्ञेय नहीं माना गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

लगातार................5

14. संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी / टैक्स / 2005–80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारी ठेकेदार के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुक्ति शुल्क की राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय है। व्यवहारी द्वारा विकल्प लिये जाने के पश्चात उसमें शामिल मजदूरी राशि को घटाने का तर्क देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

15. अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी / टैक्स / 2005–80 दिनांक 11.8.2006 का बिन्दु संख्या 5 एवं तालिका के कॉलम 1, 2 व 3 निम्न प्रकार है :–

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, **hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods** (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) **subject to the following conditions,** namely:-

(5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-

(i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contactor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;

लगातार.................6

(ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;

(iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

(6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in excution of the works contract for which exemption certificate has been granted;

Item No.	**Description of work contract**	**Rate of exemption fee % of the total value of the contract**
1	**2**	**3**
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

16. उक्त अधिसूचना में तालिका के कॉलम संख्या 3 से भली—भांति स्पष्ट है कि इस हेतु कुल ठेका राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क का विकल्प लिये जाने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र डब्ल्यू.टी.—1 के अंत में निम्नानुसार Undertaking दी जाती है :—

I/We hereby undertake that I/we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so, I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act.I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant and his status

लगातार................7

17. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर निर्धारण करने के लिये **"पण्यावर्त"** के निश्चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैसर्स बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया बनाम भारत सरकार (1989) 73 एस.टी.सी. 370** को Reproduce किया गया है। इसमें **"पण्यावर्त"** पर कर उद्ग्रहण का बिन्दु निर्णीत है। न्यायिक दृष्टान्त **23 टैक्स अपडेट पृष्ठ 22** का निर्णय टर्नओवर टैक्स से सम्बन्धित है। अपीलार्थीगण के प्रकरण मुक्ति शुल्क राशि के हैं। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद प्रदान नहीं करते हैं।

18. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 29 वी. एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स** में व्यवस्था दी है कि –

> "Held, that since the work contract in its entirety was covered by the exemption certificate issued by the competent authority to the dealer, the assessing authority could not have obviously imposed tax under section 5A of the Act treating it as purchases from unregistered dealers made 'within the State of Rajasthan. **The assessing authority could have only imposed exemption fee leviable on the works contract in question in accordance with the exemption certificate granted to the dealer."**

19. हस्तगत प्रकरणों में आई.टी.सी. क्लेम के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **(1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास** में व्यवस्था दी है कि –

> "The exemption under a licence granted to a dealer in cotton under section 5 of the Madras General Sales Tax Act, 1939, is conditional upon the observance of the conditions prescribed and upon the restrictions which are imposed by and under the Act or in the rules or in the licence itself. A licencee is therefore exempt from assessment as long as he conforms to the conditions of the licence and he is not entitled to exemption if the conditions upon which the licence is given are not fulfilled. **The use of the words "subject to" has reference to effectuating the intention of the law and the correct meaning is "conditional upon".**

लगातार.................8

20. माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **T. H. Venkate Gowda V. Commissioner of Commercial Taxes in Karnataka, Bangalore न्यायिक दृष्टान्त (2007) 5 वी.एस.टी. 553 (कर्नाटक) निर्णय दिनांक 07.07.2006** में निम्न व्यवस्था दी है :-

> "Held, that an option is available to a dealer in the matter of permission to pay the amount under clause (i) of section 17(6) of the Act. The option saves the contractor from the botheration of book-keeping, assessment, appeals, etc. It provides a ready solution to the contractor. Having opted for section 17(6), it was now not open to the petitioner to bifurcate the contract and the tax thereon for the purpose of payment of tax. The dealer having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, could not be heard to question subsequently the levy of tax by the authorities. The revisional authority after noticing the option under section 17(6) and after noticing the legal error committed by the assessing authority, had rightly chosen to review the assessment order on the ground of prejudice to the Revenue of the State."

21. इसी निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134** को उद्धरित किया गया है, जिसमें व्यवस्था दी है कि :-

> "......The first feature to be noticed is that the alternate method of taxation provided by sub-section (7) of (7A) of section 7 is optional. The sub-sections expressly provide that the method of taxation provided thereunder is applicable only to a contractor who elects to be governed by the said alternate method of taxation. There is no compulsion upon any contractor to opt for the method of taxation provided by sub-section (7) or sub section (7A). It is wholly within the choice and pleasure of the contractor. If he thinks it is beneficial for him to so opt, he will opt; otherwise, he will be governed by the normal method of taxation provided by section (5)(1)(iv). Sub-section (8) provides that the option to come under sub-section (7) or (7A) has to be exercised by the contractor 'either by an express provision in the agreement for the contract or by an application to the assessing authority, to permit him to pay the tax in accordance with any of the said sub-sections'. **In these circumstances, it is evident that a contractor who had not opted to this alternate method of taxation cannot complain against the said sub sections,**

लगातार.................9

for he is in no way affected by them. Nor can the contractor who has opted to the said alternate method of taxation, complain. Having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, a contractor cannot be heard to question the validity of the relevant sub-sections or the rules... The impugned sub-sections have evolved a convenient, hassle-free and simple method of assessment just as the system of levy of entertainment tax on the gross collection capacity of the cinema theatres. By opting to this alternate method, the contractor saves himself the botheration of book-keeping, assessment, appeals and all that it means. It is not necessary to enquire and determine the extent or value of goods which have been transferred in the course of execution of a works contract, the rate applicable to them and so on. For example, under sub-section (7), the contractor pays two per cent of the total value of the contract by way of tax and he is done with all the abovementioned botheration. The rate of two per cent prescribed by sub-section (7) is far lower than the rates in First, econd and Fifth Schedules referred to in section 5(1)(iv)(a). In short, sub-section (7) and (7A) evolve a rough and ready method of assessment of tax and leave it to the contractor either to opt to it or be governed by the normal method. **It is only an alternative method of ascertaining the tax payable, which may be availed of by a contractor if he thinks it advantageous to him... The Constitution does not preclude the Legislature from evolving such alternate, simplified and hassle-free method of assessment of tax payable, making it optional for the assessee. The object of sub-sections (7) and (7A) is the same as that of section 5(1)(iv); it is only that they follow a different route to arrive at the same destination of tax liability which may sometimes be in the interest of both the Revenue and the assessees.** It must also be remembered that in the field of taxation, the Legislature must be allowed greater 'play in the joints', as it is called."

22. उपरोक्त दी गयी व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रशमन का विकल्प लिये जाने के बाद अपीलार्थी व्यवहारीगण प्रशमन से भिन्न करारोपण के तरीके से करारोपण की मांग करते हुए लेबर राशि को घटाने की मांग नहीं कर सकते हैं। प्रशमन राशि सम्पूर्ण प्राप्तियों Total Receipts / Total Turnover पर विहित मुक्ति शुल्क की दर से ही मुक्ति शुल्क राशि देय होगी।

लगातार.............10

23. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर कर से मुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस आशय का undertaking स्वीकार किया है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करेगा।

24. इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारीगण इन्पुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिये पात्र नहीं हैं। इस आशय की शर्त संख्या 6 अधिसूचना में विहित की गई है, जिसके विरूद्ध व्यवहारी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इन्पुट टैक्स क्लेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

25. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारों को वैट—39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2426 / 2012 / भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉनफेब प्रा. लि., शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014** में निम्न निर्णय दिया गया है :—

> "10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर जमा कराई राशि जिसके संबंध में उसने वैट 07 भी प्रस्तुत किया है, अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों को आगत कर का समायोजन प्रतिबंधित है।
>
> 11. जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवम् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ,विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत् जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी / टैक्स / 2005—86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य

लगातार..............11

सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तद्संबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरूद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवम् न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर **उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।"**

26. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा वैट—39 के जरिये चुकाई गई राशि का समायोजन अनुज्ञेय नहीं है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये हैं, तथा अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष कोई अपील अथवा क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में इस पीठ के स्तर पर इस बिन्दु पर कोई निर्णय दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

27. वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल का उपयोग संविदा कार्य में किये जाने तथा उक्त माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. क्लेम किये जाने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 37 टैक्स अपडेट 124 मैसर्स सिद्धी विनायक कॉन्ट्रेक्टर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा** में स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी से कोई संविदाकर्ता माल क्रय करता है और संविदा कार्य में प्रयुक्त करता है तो ऐसी विक्रय की गई वस्तुओं पर कर भुगतान का दायित्व अधिनियम के तहत क्रेता व्यवहारी संविदाकर्ता पर होगा, क्योंकि उक्त वस्तु का विक्रय 'डीम्ड सेल' की श्रेणी में आता है। ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गई वस्तुओं पर वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत आई.टी.सी. देय नहीं होगा। माननीय कर बोर्ड के उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह पीठ पूर्णतः सहमत है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

लगातार...............12

28. इसी प्रकार के.वी.आई.सी. के तहत पंजीकृत व्यवहारी से क्रीत करमुक्त माल का उपयोग संविदा कार्य में किये जाने पर करदेयता का दायित्व क्रेता व्यवहारी पर रहता है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

29. वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें, अतः इस सम्बन्ध में भी अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय **(1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास; स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134** व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय **(2010) 29 वी. एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स** के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारी ठेकेदार की सकल संविदा प्राप्तियां/टर्नओवर मुक्ति प्रमाण–पत्र से आच्छादित हैं। इन सकल प्राप्तियों/टर्नओवर पर अपीलार्थी व्यवहारीगण विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी हैं। मुक्ति शुल्क भुगतान की गणना के लिये इन सकल संविदा प्राप्तियों/टर्नओवर में से मजदूरी राशि को नहीं घटाया जा सकता है तथा ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय हो सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत हैं।

31. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारीगण की सभी अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

32. निर्णय सुनाया गया।

05.12.2013

(मनोहर पुरी)
सदस्य